भाग – III

संबधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहॉ की वनभूमि शामील की गई है। क्या इसका संबंधित वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नही) ? यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नही।
2	क्या संबधित वन संरक्षक भाग 'ख' दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है ?	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग जबलपुर द्वारा डिण्डौरी एवं जबलपुर जिले में जबलपुर–कुण्डम–शहपुरा–डिण्डौरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के चौड़ीकरण एवं बायपास निर्माण हेतु वनमण्डल डिण्डौरी की 8.456 हे0 एवं जबलपुर वनमण्डल के 22.555 हे0 कुल 31.011 हे0 वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा पुनःउक्त मार्ग का निरीक्षण करने पर बायपास के भाग में जबलपुर वन मण्डल की 18.055 हे0 वनभूमि को छोडने के पश्चात 4.50 हे0 वनभूमि प्रभावित होने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा ऑन लाईन में संशोधन कर दिया गया है। डिण्डौरी वनमण्डल के वनक्षेत्र में कोई परिवर्तन नही हुआ है। वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, जबलपुर एंव डिण्डौरी द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर जबलपूर वनमण्डल के 4.50 हे0 एंव डिण्डौरी वनमण्डल के 8.456 हे0 कुल 12.956 हे0 वनक्षेत्र आवेदक विभाग को व्यपवर्तित करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :– 12/10/2022
स्थान :– जबलपुर

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर